राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3436—दो/13 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13—5—2015	आवेदकगण की ओर से श्री बी0के0 शर्मा अभिभाषक एवं आपत्तिकर्ता की ओर से श्री डी0के0 जैन अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.6.2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि जिला व्यवहार न्यायाधीश इन्दौर द्वझरा प्रकरण कमांक 15/1994—95 में पारित आदेश दिनांक 23.3.1999 में विस्तृत विवेचना करते हुए दिनांक 24.2.1994 को किये गये विकय अंतरण को अवैध एवं अधिकार विहीन एवं वह संव्यवहार अनावेदक कमांक 1 के वारिसगण के हितों पर बंधनकारी नहीं होना बताया है । साथ ही उक्त संव्यवहार से आवेदक कमांक 1 दिलीप सिंह एवं अनावेदक कमांक दो मृत प्रमिलाबाई को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होना बतलाया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान में प्रचलित होना बतलाया गया है, परंतु वर्तमान में किस अधिकार से हित प्रभावित हो रहे हैं, यह प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वार व्यवहार प्रकिया संहिता के	

आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

श्री .

राजस्व निगरानी :- /२०१३

माननीय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष.

R - 3436 - III/13

(१) दिलीपसिंह पिता चन्द्रवीरसिंह महारावल
निवासी ७६, अनूप नगर, एलबी०रोड
के पास, इन्दौर
३०१-३०२ सौरभ अपार्टमेन्ट,इन्दौर

(२) श्रीमती मानिनी प्रदीप बारगल
निवासी १८/३, न्यू पलासिया,
इन्दौर

------ प्रार्थीगण

श्री बी०के० शर्मा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 27/8/13
को प्रस्तुत

विरुद्ध .

635/27-8-2013

(१) अम्बाराम मृतक तर्फे वारिस :-
(१) मोहनलाल पिता अम्बाराम
(२) मनलाल पिता अम्बाराम
निवासीग्राम मिचोली हब्जसी
तहसील व जिला इन्दौर

(२) प्रमीलाबाई मृतक तर्फे वारिस :-
(१) प्रीति दशरे तराणेकर
निवासी ३१५, परदेशीपुरा,इन्दौर
द्वा०मु० द्वारा डी०के० जैन एडवोकेट
४५/१, मारुति नगर, सुखलिया,
इन्दौर

(३) श्रीमती गायत्रीबाई तराणेकर
तर्फे प्रीति तराणेकर निवासी सदर

(४) श्रीमती छाया पति बसन्त बाबरकर

(५) प्रभा पिता बसन्त बाबरकर

(६) लता पिता बसन्त बाबरकर
निवासीगण ३१५, परदेशीपुरा,इन्दौर ---- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म०प्र० भू०रा० संहिता.

प्रार्थीगण श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी कनाडिया, जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक १८-६-२०१३ जो कि उन्होंने प्रकरण क्रमांक ६० /अ-७४/१२-१३ मे पारित किया और प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश १ नियम १० सी० पी० सी० का निरस्त किया उस आदेश से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी अबे निचे लिखे तथ्यों एवं कारणों पर प्रस्तुत है :-